



Presented on : 06-12-2022
Registered on : 06-12-2022
Decided on : --
Duration :

**IN THE COURT OF
Civil Judge (S.D) AT ,Jalaun
Presided Over by Sri Rajeev Saran**

Original Suit/405/2022

न्यायालय: सिविल जज (सी0डि0), जालौन स्थान उरई।

मूलवाद संख्या-405/2022

मोहित कुमार

बनाम

श्रीमती शीला देवी।

J.O.Code No. -UP-1861

दिनांक: 01.09.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्षों को अमीन आख्या 55ग2 व आपत्ति 62ग2 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण अमीन आख्या 55ग2 व आपत्ति 62ग2

प्रस्तुत वाद वादी की ओर से पेश प्रार्थनापत्र 9ग2 के प्रकाश में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अमीन द्वारा विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या 55ग2 मय नक्शा नजरी पेश की गयी है।

अमीन द्वारा पेश की गयी स्थलीय निरीक्षण आख्या 55ग2 पर वादी की ओर से आपत्ति 62ग2 पेश कर अमीन रिपोर्ट कागज संख्या 55ग2 को खारिज किये जाने की याचना की गयी है। प्रतिवादिनी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अमीन आख्या में पक्षकारों द्वारा बताये गये तथ्यों को अंकित किया गया है, अपनी ओर से कोई मत व्यक्त नहीं किया गया है। वादी द्वारा आपत्ति पेश की गयी है। अतः वादी द्वारा पेश की गयी आपत्ति के आलोक में अमीन आख्या साक्ष्याधीन पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अमीन द्वारा पेश आख्या 55ग2 साक्ष्याधीन पुष्ट की जाती है। तदनुसार आपत्ति 62ग2 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 16.09.2023 को पेश हो।

(राजीव सरन)
सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।